आवश्यक

संख्या: 58/2021/1372938/12-2099/96/2021

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2021

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों के क्रम में कृषक सहकारी समितियॉ/गन्ना समितियॉ/औद्यानिक समितियॉ/पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 34/2021/1372938/12-2099/96/2021 दिनॉक 15 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों के क्रम में कृषक सहकारी समितियॉ/गन्ना समितियॉ/ औद्यानिक समितियॉ/पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के अनुसार रू. 5.00 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु जनपदवार कृषक सहकारी समितियॉ/गन्ना समितियॉ/औद्यानिक समिति/पंचायतों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन जनपदों में कृषक सहकारी समितियॉ/ गन्ना समितियॉ/औद्यानिक समितियॉ रू. 5.00 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने में असमर्थता व्यक्त करती हैं, उन जनपदों की समितियों के लक्ष्यों को उसी जनपद के पंचायतों के लक्ष्यों में परिवर्तित करते हुए कार्यवाही की जाय।

4. शासनादेश संख्या: 34/2021/1372938/12-2099/96/2021 दिनॉक 15 जून, 2021 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 58/2021/1372938(1)/12-2099/96/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग/गन्ना विभाग/उद्यान विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ,
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।